झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 227 वर्ष 2021

प्रकाश भट्टाचार्जी, उम्र लगभग 61 वर्ष, पे0–स्वर्गीय के0 भट्टाचार्जी, निवासी–घाटशिला कॉलेज रोड, डाकघर एवं थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, एम0डी0आई0 बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
3. राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य परियोजना कार्यालय, पुराना एच0ई0सी0 हाई स्कूल, जे0एस0सी0ए0 रोड, सेक्टर–3, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची, झारखण्ड।
4. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर एवं थाना–साकची, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।
5. जिला शिक्षा अधिकारी–सह–डी0पी0ओ0, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना–कदमा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।
6. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार अधिकारी–सह–समन्वयक, ब्लॉक संसाधन सिंहभूम, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री रोहन कश्यप, अधिवक्ता।

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री मनीष मिश्रा, जी0पी0–पंचम्

उत्तरदाता–जे0ई0पी0सी0 के लिए : कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता।

03/05.03.2021 श्री रोहन कश्यप, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री मनीष मिश्रा, उत्तरदाता–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ–साथ श्री कृष्ण मुरारी, उत्तरदाता–जे0ई0पी0सी0 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो के किसी भी तकनीकी खराबी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्त्ता ने वैधानिक रूप से मिलने वाले ब्याज के साथ याचिकाकर्त्ता को ग्राह्य ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए, साथ ही ढालभूमगढ़ ब्लॉक, संसाधन केंद्र, शिक्षा परियोजना, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड में लेखाकार–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में प्रदान की गई 20 साल की सेवा के कारण विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान हेतु इस समादेश याचिका को दायर किया है।

श्री रोहन कश्यप, याचिकाकर्त्ता के ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता को भारतीय वायु सेना से दिनांक 31.05.93 को उन्मुक्त किया गया था और उत्तरदाता–राज्य के अन्तर्गत, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार अधिकारी–सह–समन्वयक, प्रखण्ड संसाधन केंद्र, ढ़ालभूमगढ़, में लेखाकार–सह–कम्प्यूटर संचालक के पद पर दिनांक 01.07.1999 को पुनः नियुक्ति हुई। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, याचिकाकर्त्ता 28.02.2019 को सेवानिवृत हो गया। याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता ने अभ्यावेदन दाखिल करने के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 5 से सम्पर्क किया है जो ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए समादेश याचिका के लिए अनुलग्नक 5 श्रृंखला है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मनीष मिश्रा, प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता साथ–साथ श्री कृष्ण मुरारी, प्रतिवादी–जे0ई0पी0सी0 के लिए विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थना के आलोक में नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए समादेश याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्त्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर नए प्रतिनिधित्व दाखिल करने के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क करने का निर्देश देने के साथ समादेश याचिका का निस्तारण किया जा रहा है। यदि इस तरह का

प्रतिनिधित्व पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 3 याचिकाकर्त्ता के मामले को नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से विचार करेगा कि समादेश याचिका में प्रार्थना के अनुसार ग्रेच्यूटी को छोड़कर सभी सेवानिवृत लाभ का भुगतान किया गया है और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर यथोचित आदेश पारित करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्त्ता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ता के पक्ष में उनका लाभ जारी किया जाएगा।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, समादेश याचिका का निपटान किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)